



2026:AHC:23826

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – **1585 /2026**

तहसीलदार सिंह व 135 अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 31 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	मिर्ज़ा फहीम बेग
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिर्ज़ा फहीम बेग तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि सभी रिट-याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में हेड कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और टी.एस.आई. के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्तागण राज्य सरकार के 'समूह-ग' के कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है और वे दिनांक 02.12.2000 को जारी शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार हैं।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे उक्त शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने हेतु 19 वर्ष की सेवा की गणना के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा बित ई गई सेवा अवधि पर विचार करें।
4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सिविल मिस. रिट याचिका संख्या **44330 / 2012** (घनश्याम तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय के साथ-साथ समान याचिका रिट-ए संख्या **6429 / 2018** (दिनेश कुमार शुक्ल व 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य) जिसे दिनांक 22.02.2018 को तय किया गया था, पर कोई विवाद नहीं जताया। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के 'अध्याय VIII नियम 5' के अंतर्गत अंतः-न्यायालय अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी और उसे निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.09.2016 द्वारा तय किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को सिविल मिस. रिट याचिका संख्या **44330 / 2012** (घनश्याम तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय और आदेश के अनुसरण में उचित ठहराया गया था।
5. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर जाए बिना, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) स्थापना, पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर भवन, लखनऊ, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर रिट-याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4 फरवरी, 2026

राजेश

(विकास बुधवार, जे.)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"